आदेश का संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
30/05/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0 ए0 आर0 पुनरीक्षण 102/2011** **श्रीमती आशा सहाय बनाम् बंधन उरांव** प्रश्नगत् पुनरीक्षण आवेदन अपर समाहर्त्ता, राँची द्वारा एस0 ए0 आर0 अपील संख्या–60-R15/2008-09 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। मूलतः एस0 ए0 आर0 वाद संख्या–0497/2005–06 में विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा ग्राम–हेसल, खाता नम्बर–74, प्लॉट नम्बर–644, रकबा–4 कट्ठा भूमि के वापसी हेतु आदेश पारित किया गया था, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा सम्पुष्ट किया गया है। प्रश्नगत् वाद 2011 में दायर किया गया था, जिसे वर्ष–2016 में सुनवाई हेतु अंगीकृत किया गया। नोटिस के पश्चात् विपक्ष न्यायालय में उपस्थित भी हुये, किन्तु दिनांक–22.10.2018 से लगातार उभयपक्ष न्यायालय से अनुपस्थित रहे। मात्र दिनांक–09.12.2019 को एक हाजिरी आवेदकों की तरफ से दायर की गयी। दिनांक–18.04.2022, 25.04.2022, 19.05.2022 तथा 23.05.2022 को सुनवाई हेतु आवेदकों को लगातार मौका दिया गया, किन्तु वे न्यायालय से अनुपस्थित रहे। अंततः उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर आदेश पारित करने का निर्णय लिया गया। आवेदकों का दावा है कि प्रश्नगत् भूमि चेंगड़े उरांव व कैला उरांव के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज थी, तथा मौखिक बंटवारा के पश्चात् प्लॉट नम्बर–644 कैला उरांव के हिस्से में आया। उक्त कैला उरांव द्वारा दिनांक–26.12.1939 को भूतपूर्व जमीन्दार को उक्त भूमि इस्तीफा दे दी गयी। जमीन्दार सरजू दयाल सिंह के मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र जगदीश्वर दयाल सिंह के द्वारा 9 कट्ठा 06 छटांक भूमि श्रीमती ललिता देवी को दिनांक–22.03.1975 को एवं 05 कट्ठा 06 छटांक भूमि को श्रीमती सुविद्या सिंह को दिनांक–07.11.1973 को निबंधित केवाला से बिक्री कर दी गयी। आवेदक के पति द्वारा उक्त भूमि में 03 कट्ठा 06 छटांक 20 वर्गफीट भूमि 1979 में निबंधित केवाला से क्रय करते हुये उक्त भूमि पर पक्के मकान का निर्माण किया गया तथा अंचल कार्यालय से इस भूमि का नामान्तरण भी कराया गया। राँची नगर निगम द्वारा उक्त भूमि पर होल्डिंग नम्बर भी आवंटित किया गया। इस प्रकार भूमि वापसी का दावा पूर्णतः कालबाधित है एवं आवेदक को प्रश्नगत् भूमि पर अवैध	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

दखलकार के रूप में अधिकार प्राप्त होता है। वर्ष–1939 में इस्तीफा के पश्चात् से ही उक्त भूमि आदिवासी रैयत से हस्तांतरित हो चुकी है, अतः निम्न न्यायालयों द्वारा पारित आदेश अनुचित है।

विपक्षी न्यायालय में उपस्थित हुये किन्तु उनके तरफ से कोई जवाब दायर नहीं किया गया, जबकि नोटिस का तामिला अभिलेखों में उपलब्ध है।

निम्न न्यायालयों के आदेश एवं अभिलेख देखने से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत् भूमि आदिवासी खतियानी भूमि है, जिसे आवेदक जो बिहार राज्य के नालंदा जिले के निवासी है, के द्वारा एक ललिता देवी से क्रय किया गया है। उक्त ललिता देवी को यह भूमि भूतपूर्व जमीन्दार के पुत्र द्वारा बिक्री की गयी है। मूल प्रश्न यह है कि 1939 का कथित इस्तीफानामा किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात् जमीन्दारी रिटर्न में यदि यह प्लॉट जमीन्दार के नाम पर दर्ज होता तो उसकी जमाबंदी उसी तिथि से प्रारम्भ की जाती, किन्तु प्रश्नगत् मामले में उक्त भूमि की जमाबंदी अथवा लगान निर्धारण कभी भी नहीं किया गया है। भूमि क्रय करने के पश्चात् वर्ष–1979 में इस भूमि का दाखिल–खारिज किया गया है। स्पष्टतः आवेदकों के द्वारा आदिवासी रैयती भूमि को क्रय कर उस पर मकान का निर्माण किया गया। आवेदकों को राँची नगर निगम से प्राप्त होल्डिंग वर्ष–1994 का है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त तिथि के पूर्व इस स्थान पर कोई निर्माण नहीं था। निम्न न्यायालयों द्वारा सभी तथ्यों की विस्तृत व्याख्या करते हुये भूमि वापसी का आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। कथित इस्तीफानामा एवं तत्पश्चात् जमीन्दार के पुत्र के द्वारा बिक्री की कार्रवाई पूर्णत अवैधानिक है। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

30/7/22

प्रमण्डलीय आयुक्त

30/7/22

प्रमण्डलीय आयुक्त

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.07.23 15:35:52 +05:30
Location: 192.168.1.40